न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 107/2025
(जीसीएमएस संख्या 2025/195)

निर्णय दिनांकः 9-12-25

1. श्रीमती रानी देवी बेवा महावीर प्रसाद पुत्र नौरंगलाल जाति नाई निवासी चक 2 डी छोटी हाल आबाद जवाहरनगर श्रीगंगानगर।
2. संजय भाटी
3. प्रियंका

पिसरान स्व. महावीर प्रसाद पुत्र नौरंगलाल जाति नाई निवासी चक 2 डी छोटी हाल आबाद जवाहरनगर, गंगानगर

–अपीलांट्

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30–05–1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 30–05–1998 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता/पति द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 1 एम.जी.डब्ल्यु.एम. के मुरब्बा नम्बर 98/30 तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर अधीनस्थ द्वारा अपीलांट द्वारा अपीलांट के पिता/पति का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उक्त रकबा अविज्ञापित है। अपीलांट के पिता/पति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय राजस्थान राज पत्र में बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु विज्ञापित भूमि को गजट में देखकर ही आवेदन प्रस्तुत किया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध अपीलांट का आवेदन खारिज किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 30–04–1998 में यह अंकित किया है कि पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष बाद में कैम्प कोर्ट पूगल में पेश हो। परन्तु अपीलांट को तारीख नही बताई गई। अपीलांट के आवेदन पर इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि अविज्ञापित है। इसलिए अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही की जा सकती है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अभिभाषक अपीलांट ने जमाबंदी सवंत् 2076 प्रस्तुत कर कथन किया कि अगर उक्त रकबा गजट में उपलब्ध नही था तो इसका आवंटन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खातून पत्नी सच्चे खां को किस आधार पर किया गया। जमाबंदी के स्पष्ट है कि मु.न. 98/30 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किसी अन्य खातून पत्नी सच्चें खां को किया गया है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है, अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील को विलम्ब से विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एव पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलांट के पिता/पति द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 1 एम.जी. डब्ल्यु.एम. के मुरब्बा नम्बर 98/30 तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 30–04–1998 में यह अंकित किया है कि पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष बाद में कैम्प कोर्ट पूगल में पेश हो। परन्तु अपीलांट के पिता/पति को तारीख नही बताई गई। तथा दिनांक 30–05–1998 को पत्रावली पेशी में लेते हुए अपीलांट के पिता/पति का आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट के पिता/पति द्वारा आवेदित मुरब्बा नम्बर 98/30 अविज्ञापित है। इसलिए अपीलांट के पिता/पति के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नही की जा सकती है। अतः प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से खारिज किया जाता है। इस बाबत् अपीलांट के पिता/पति को किसी प्रकार की सूचना या सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित नही किया गया ना ही आदेशिका में नोटिस प्रेषित करने बाबत आदेश किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गजट नोटिफिकेशन की प्रति उपलब्ध नही है। इस स्थिति में इस न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर विनिश्चिय नही किया जा सकता कि प्रश्नगत भूमि गजट में विज्ञापित थी अथवा नही? परन्तु यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूचित किये उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। यदि प्रश्नगत भूमि गजट में विज्ञापित नही थी तो अपीलांट को इस संबंध में अवगत करवाकर उसे अन्य भूमि हेतु आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाना था। अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस इस बात पर जोर दिया गया कि प्रश्नगत भूमि गजट में प्रकाशित थी और अपीलांट का आवेदन बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत रूप से खारिज किया गया है।

आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत में भी यह अभिधारित किया गया है कि **Application for special**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

allotment was dismissed ex-parte without giving any notice- No opportunity of hearing given- Held, order set aside and the authority is directed to decide the application afresh. उपरोक्त नजीर प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है।

उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस बिन्दू की जांच करे कि क्या चक 1 एम. जी.डब्ल्यु.एम. के मुरब्बा नम्बर 98/30 तादादी 25 बीघा विशेष आवंटन हेतु गजट में विज्ञापित था अथवा नही? यदि यह रकबा दिनांक 30–05–1998 को विशेष आवंटन हेतु गजट में विज्ञापित पाया जावे तो तो अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अनुदेशन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर